

आयकर आगणन विकल्प एवं बचत प्रपत्र वित्तीय वर्ष 2025-26

ब्लाक का नाम -

जनपद -

अध्यापक विवरण :-					
नाम अध्यापक				पेनकार्ड संख्या	
विद्यालय का नाम				पदनाम	
जन्म तिथि				Mob. No.	
बैंक का नाम व ब्रान्च				खाता संख्या	
क्या आप सीनियर सिटीजन हैं ? यदि हाँ तो उल्लेख करें :-					
बचत प्रपत्र विवरण (80C):-			अन्य बचत का विवरण :-		
क्र.सं.	बचत का नाम	कुल धनराशि	क्र.सं.	बचत का नाम	कुल धनराशि
1	जीवन बीमा पालिसी		1	होम लोन का ब्याज	
2	N.S.C.		2	मकान किराया	
3	ट्यूशन फीस		3	विकलांग छूट (स्वयं के लिए)(80U)	
4	P.P.F.		4	विकलांग छूट (आश्रित के लिए)	
5	होम लोन (प्रिन्सिपल)		5	स्वास्थ्य बीमा(80D)	
6	P.L.I.		6	गम्भीर बीमारी के इलाज पर व्यय	
7	सावधि जमा (FDR)		7	दान	
8	सुकन्या समृद्धि योजना		8	अन्य	
9	अन्य		यदि अन्य स्रोत से आय है तो विवरण दें:-		
10			क्र.सं.	आय का स्रोत	धनराशि
			1		
	योग		2		

कर निर्धारण हेतु विकल्प का चयन करें:-

☐ पुरानी कर व्यवस्था

☐ नई कर व्यवस्था

निर्देश :- (1) प्रत्येक बचत पर अपना नाम, बचत की तिथि, धनराशि को पीले स्केच से हाईलाइट करें।

(2) पेनकार्ड एवं सभी बचत की छायाप्रति संलग्न करें। प्रत्येक बचत को स्वप्रमाणित करें।

(3) स्वयं अथवा आश्रित के लिए विकलांग छूट हेतु विकलांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

(4) गम्भीर बीमारी के इलाज पर किये गए व्यय की छूट हेतु फॉर्म 10(i) प्रस्तुत करें।

घोषणा:-

प्रमाणित किया जाता है कि आयकर में छूट हेतु उक्त बचत मेरे द्वारा प्रथम बार प्रस्तुत की जा रही हैं तथा आयकर में छूट हेतु मेरे द्वारा इनका कहीं और प्रयोग नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर शिक्षक/शिक्षिका

वित्तीय वर्ष: 2025-26 के आयकर निर्धारण हेतु विकल्प पत्र

समक्ष खण्ड शिक्षा अधिकारी वि०ख०--

जनपद -

मैं.....प्र०अ०/स०अ०/सेवक,
प्रा०वि०/उ०प्रा०वि० वि०ख०
जनपद - में कार्यरत हूँ। मेरा पैन नं०:है। मैं स्वेच्छा से
वित्तीय वर्ष 2025-26 (AY 2026-27) में आयकर आगणन /निर्धारण हेतु उपलब्ध विकल्पों में से –
विकल्प(1)— पुरानी व्यवस्था से आयकर निर्धारण (मानक कटौती व धारा 80 के अन्तर्गत सभी प्रकार की
छूट अनुमन्य)

अथवा

विकल्प(2)— नवीन व्यवस्था से आयकर निर्धारण (किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं)

विकल्प: को चयनित करता हूँ/करती हूँ।

उक्त विकल्प के चयन के पश्चात मैं इस वित्तीय वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) में विकल्प परिवर्तित नहीं करूंगा/करूंगी, यह विकल्प अन्तिम व अपरिवर्तनीय है। विकल्प(1) का चयन करने की स्थिति में मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत 80C, 80D, 80G, मकान किराया भत्ता आदि की छूटें, गृह ऋण के ब्याज के साक्ष्य पूर्णतः सत्य हैं, किसी भी छूट का दोहरा लाभ नहीं लिया गया है। कोई भी साक्ष्य कूटरचित/ मिथ्या नहीं है, यदि कोई भी साक्ष्य कूटरचित/ मिथ्या पाया जाता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा मेरे विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाय, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

दिनांक:

हस्ताक्षर

नाम व पद :

विद्यालय :

वि०ख० :

जनपद :

खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति